प्रेषक,

सर्वोच्च प्राथमिकता

मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
ए0बी0–पी0एम0जे0ए0वाई0,
स्टेट हेल्थ एजेन्सी, (साचीज),
चतुर्थ तल, नवचेतना केन्द्र,
10 अशोक मार्ग, हजरतगंज, लखनऊ।

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।
2. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांकः एस0ई0सी0टी0एस0/444–दि0निर्दे0/2022/ 612 **लखनऊ : दिनांकः** 12 **मई, 2022**

विषयः–पं0 दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों को ऑनलाइन एप्लीकेशन के माध्यम से स्टेट हेल्थ कार्ड उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

आप अवगत हैं कि पं0 दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना के अन्तर्गत राज्य के सरकारी कर्मचारियों एवं सेवा निवृत्त सरकारी कर्मचारियों तथा उनके आश्रित परिजनों को कैशलेस चिकित्सा उपचार उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या–10/पांच–1–22–91 जी/2016 दिनांक 07 जनवरी, 2022 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा दिशा–निर्देश जारी किये गये हैं। योजना का लाभ लेने हेतु लाभार्थी के पास ''स्टेट हेल्थ कार्ड'' होना अनिवार्य है जिसकी सहायता से पहचान सुनिश्चित होने के उपरान्त ही लाभार्थी को योजनान्तर्गत आबद्ध चिकित्सालयों में कैशलेस चिकित्सा उपलब्ध हो सकेगी।

2. योजना की वेबसाइट https://sects.up.gov.in क्रियाशील हो गई है जिसके माध्यम से पोर्टल पर ''Apply for State Health Card'' बटन पर क्लिक करते हुये स्टेट हेल्थ कार्ड के लिये आवेदन किया जा सकता है। **योजना के अन्तर्गत किसी प्रकार के ऑफलाइन आवेदन का प्राविधान नहीं है।** सरकारी कर्मचारियों के ऑनलाइन आवेदन का सत्यापन सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी (डी0डी0ओ0) तथा सेवा निवृत्त सरकारी कर्मचारी के ऑनलाइन आवेदन का सत्यापन सम्बन्धित कोषाधिकारी (टी0ओ0) द्वारा किया जायेगा।

3. पोर्टल के ''GO/Guidelines'' के अन्तर्गत स्टेट हेल्थ कार्ड हेतु आवेदन, सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी/कोषाधिकारी द्वारा सत्यापन एवं ई0–के0वाई0सी0 के माध्यम से स्टेट हेल्थ कार्ड डाउनलोड करने की प्रक्रिया से सम्बन्धित प्रोसेस फ्लो उपलब्ध हैं। सातवें वेतन आयोग की पे–मेट्रिक्स एवं आश्रितों की परिभाषा (नियमावली के अनुसार) भी पोर्टल पर अपलोडेड है। योजना से सम्बन्धित ''FAQs'' भी पोर्टल पर अपलोड कर दिये गये हैं।

4. निदेशक कोषागार कार्यालय से प्राप्त राज्य के आहरण वितरण अधिकारियों एवं कोषाधिकारियों के डाटाबेस में सम्मिलित समस्त डी0डी0ओ0 एवं टी0ओ0 को लॉगिन यूजर आई0डी0 उनके पंजीकृत मोबाइल नम्बर पर प्रेषित कर दी गई है जिसकी सहायता से डी0डी0ओ0/टी0ओ0 अपने लॉगिन में प्राप्त लाभार्थियों के ऑनलाइन आवेदन को सत्यापित कर सकते हैं।

कृ0प0उ0

5. कर्मचारियों द्वारा सुगमता से ऑनलाइन आवेदन करने हेतु यह उचित होगा कि जनपद के समस्त सरकारी विभागों में एक या दो चिन्हित सरकारी कर्मचारी/अधिकारी को ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के सम्बन्ध में प्रशिक्षित कर दिया जाये। इसी प्रकार कोषाधिकारी कार्यालय में चिन्हित सरकारी कर्मचारी/अधिकारी को भी प्रशिक्षित कर दिया जाये जिससे पेंशनर्स के ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को सुगम बनाया जा सके। समस्त जनपदों में मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा चिन्हित कर्मचारियों/अधिकारियों को मास्टर ट्रेनर के रूप में प्रशिक्षित कर दिया गया है।

जनपद स्तर के अतिरिक्त तहसील एवं ब्लॉक स्तर पर भी चिन्हित कर्मचारियों को ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के सम्बन्ध में प्रशिक्षित किया जाना होगा जिससे फील्ड में कार्यरत कर्मचारियों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में आवासित सेवानिवृत्त कर्मचारियों का समय से ऑनलाइन पंजीकरण सुनिश्चित किया जा सके।

6. सरकारी कर्मचारियों/सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को ऑनलाइन आवेदन से पूर्व निम्नलिखित सूचनायें अपने पास रख लेनी चाहिये जिससे ऑनलाइन आवेदन में कठिनाई न हो :—

- कर्मचारी/पेंशनर से सम्बन्धित डी0डी0ओ0 कोड/टी0ओ0 कोड एवं ट्रेजरी का जनपद।
- कर्मचारी का वर्तमान पे—बैंड/लेवेल, पेंशनर का अंतिम पे—बैंड/लेवेल (7वें वेतन आयोग के अनुसार)।
- पेंशनर का पी0पी0ओ0 नम्बर, बैंक अकाउंट नम्बर एवं आई0एफ0एस0सी0 कोड।
- स्वयं एवं आश्रितों का आधार नम्बर, आधार लिंक्ड मोबाइल नम्बर एवं आधार पर अंकित विवरण।
- स्वयं एवं आश्रितों की फोटो।
- किसी आश्रित के विकलांग होने की स्थिति में विकलांगता प्रमाण—पत्र

7. डी0डी0ओ0/टी0ओ0 द्वारा अपने लॉगिन में प्राप्त आवेदन को सत्यापित करना होगा। डी0डी0ओ0/टी0ओ0 द्वारा कर्मचारी/पेंशनर के आवेदन विवरण के आधार पर उन्हें सत्यापित किया जायेगा। आवेदक के आश्रितों का सत्यापन आवेदक द्वारा दिये गये कथन (Declaration) के आधार पर किया जायेगा।

8. डी0डी0ओ0/टी0ओ0 द्वारा अपने लॉगिन में प्राप्त ऑनलाइन आवेदन को FIFO (First In First Out) क्रम में सत्यापित करने का प्राविधान है। अतः जो आवेदन अपूर्ण हो अथवा जिसमें संशोधन की आवश्यकता हो उसे ''Return with Comments'' बटन पर क्लिक करके ''Comments'' के साथ आवेदक को वापस कर देना होगा। इसके उपरान्त ही अगले क्रम में प्राप्त आवेदन को सत्यापित किया जा सकेगा।

9. योजना के सुचारू रूप से संचालन हेतु समस्त जनपदों में नोडल अधिकारी नामित करते हुये उनका विवरण (नाम, पदनाम, विभाग, मोबाइल नम्बर एवं ई—मेल आई0डी0) एस0एच0ए0, योजना की ई—मेल आई0डी0—upsects@gmail.com पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें जिससे समय—समय पर योजनान्तर्गत पंजीकरण की प्रगति की जनपदवार समीक्षा में वांछित सूचना समय से उपलब्ध करायी जा सके।

मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा योजना का शुभारम्भ शीघ्र किये जाने की सम्भावना है। अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त दिशा-निर्देशों के अनुरूप जनपद के समस्त सरकारी विभागों के अधिकारियों/कर्मचारियों तथा सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों का योजनान्तर्गत आवेदन/पंजीकरण सुनिश्चित करने का कष्ट करें। यह भी अनुरोध है कि इस पत्र को जनपद के समस्त आहरण वितरण अधिकारियों/कोषाधिकारियों को अपने स्तर से प्रसारित (circulate) करने का कष्ट करें।

भवदीया,

(संगीता सिंह)
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

संख्या एवं तिथि : यथोपरि

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन को सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0।
4. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0।
5. निदेशाक कोषागार, उ0प्र0।

(संगीता सिंह)
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

प्रेषक,

सर्वोच्च प्राथमिकता

मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
ए0बी0–पी0एम0जे0ए0वाई0,
स्टेट हेल्थ एजेन्सी, (साचीज),
चतुर्थ तल, नवचेतना केन्द्र,
10 अशोक मार्ग, हजरतगंज, लखनऊ।

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।
2. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांक: एस0ई0सी0टी0एस0 / 444–दि0निर्दे0 / 2022 / 612 लखनऊ : दिनांक: 12 मई, 2022

विषयः–पं0 दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों को ऑनलाइन एप्लीकेशन के माध्यम से स्टेट हेल्थ कार्ड उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

आप अवगत हैं कि पं0 दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना के अन्तर्गत राज्य के सरकारी कर्मचारियों एवं सेवा निवृत्त सरकारी कर्मचारियों तथा उनके आश्रित परिजनों को कैशलेस चिकित्सा उपचार उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या–10 / पांच–1–22–91 जी / 2016 दिनांक 07 जनवरी, 2022 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा दिशा–निर्देश जारी किये गये हैं। योजना का लाभ लेने हेतु लाभार्थी के पास ''स्टेट हेल्थ कार्ड'' होना अनिवार्य है जिसकी सहायता से पहचान सुनिश्चित होने के उपरान्त ही लाभार्थी को योजनान्तर्गत आबद्ध चिकित्सालयों में कैशलेस चिकित्सा उपलब्ध हो सकेगी।

2. योजना की वेबसाइट https://sects.up.gov.in क्रियाशील हो गई है जिसके माध्यम से पोर्टल पर ''Apply for State Health Card'' बटन पर क्लिक करते हुये स्टेट हेल्थ कार्ड के लिये आवेदन किया जा सकता है। **योजना के अन्तर्गत किसी प्रकार के ऑफलाइन आवेदन का प्राविधान नहीं है।** सरकारी कर्मचारियों के ऑनलाइन आवेदन का सत्यापन सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी (डी0डी0ओ0) तथा सेवा निवृत्त सरकारी कर्मचारी के ऑनलाइन आवेदन का सत्यापन सम्बन्धित कोषाधिकारी (टी0ओ0) द्वारा किया जायेगा।

3. पोर्टल के ''GO/Guidelines'' के अन्तर्गत स्टेट हेल्थ कार्ड हेतु आवेदन, सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी / कोषाधिकारी द्वारा सत्यापन एवं ई0–के0वाई0सी0 के माध्यम से स्टेट हेल्थ कार्ड डाउनलोड करने की प्रक्रिया से सम्बन्धित प्रोसेस फ्लो उपलब्ध हैं। सातवें वेतन आयोग की पे–मेट्रिक्स एवं आश्रितों की परिभाषा (नियमावली के अनुसार) भी पोर्टल पर अपलोडेड है। योजना से सम्बन्धित ''FAQs'' भी पोर्टल पर अपलोड कर दिये गये हैं।

4. निदेशक कोषागार कार्यालय से प्राप्त राज्य के आहरण वितरण अधिकारियों एवं कोषाधिकारियों के डाटाबेस में सम्मिलित समस्त डी0डी0ओ0 एवं टी0ओ0 को लॉगिन यूजर आई0डी0 उनके पंजीकृत मोबाइल नम्बर पर प्रेषित कर दी गई है जिसकी सहायता से डी0डी0ओ0 / टी0ओ0 अपने लॉगिन में प्राप्त लाभार्थियों के ऑनलाइन आवेदन को सत्यापित कर सकते हैं।

कृ0प0उ0

5. कर्मचारियों द्वारा सुगमता से ऑनलाइन आवेदन करने हेतु यह उचित होगा कि जनपद के समस्त सरकारी विभागों में एक या दो चिन्हित सरकारी कर्मचारी/अधिकारी को ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के सम्बन्ध में प्रशिक्षित कर दिया जाये। इसी प्रकार कोषाधिकारी कार्यालय में चिन्हित सरकारी कर्मचारी/अधिकारी को भी प्रशिक्षित कर दिया जाये जिससे पेंशनर्स के ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को सुगम बनाया जा सके। समस्त जनपदों में मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा चिन्हित कर्मचारियों/अधिकारियों को मास्टर ट्रेनर के रूप में प्रशिक्षित कर दिया गया है।

जनपद स्तर के अतिरिक्त तहसील एवं ब्लॉक स्तर पर भी चिन्हित कर्मचारियों को ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के सम्बन्ध में प्रशिक्षित किया जाना होगा जिससे फील्ड में कार्यरत कर्मचारियों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में आवासित सेवानिवृत्त कर्मचारियों का समय से ऑनलाइन पंजीकरण सुनिश्चित किया जा सके।

6. सरकारी कर्मचारियों/सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को ऑनलाइन आवेदन से पूर्व निम्नलिखित सूचनायें अपने पास रख लेनी चाहिये जिससे ऑनलाइन आवेदन में कठिनाई न हो :—

- कर्मचारी/पेंशनर से सम्बन्धित डी0डी0ओ0 कोड/टी0ओ0 कोड एवं ट्रेजरी का जनपद।
- कर्मचारी का वर्तमान पे–बैंड/लेवेल, पेंशनर का अंतिम पे–बैंड/लेवेल (7वें वेतन आयोग के अनुसार)।
- पेंशनर का पी0पी0ओ0 नम्बर, बैंक अकाउंट नम्बर एवं आई0एफ0एस0सी0 कोड।
- स्वयं एवं आश्रितों का आधार नम्बर, आधार लिंक्ड मोबाइल नम्बर एवं आधार पर अंकित विवरण।
- स्वयं एवं आश्रितों की फोटो।
- किसी आश्रित के विकलांग होने की स्थिति में विकलांगता प्रमाण–पत्र

7. डी0डी0ओ0/टी0ओ0 द्वारा अपने लॉगिन में प्राप्त आवेदन को सत्यापित करना होगा। डी0डी0ओ0/टी0ओ0 द्वारा कर्मचारी/पेंशनर के आवेदन विवरण के आधार पर उन्हें सत्यापित किया जायेगा। आवेदक के आश्रितों का सत्यापन आवेदक द्वारा दिये गये कथन (Declaration) के आधार पर किया जायेगा।

8. डी0डी0ओ0/टी0ओ0 द्वारा अपने लॉगिन में प्राप्त ऑनलाइन आवेदन को FIFO (First In First Out) क्रम में सत्यापित करने का प्राविधान है। अतः जो आवेदन अपूर्ण हो अथवा जिसमें संशोधन की आवश्यकता हो उसे "Return with Comments" बटन पर क्लिक करके "Comments" के साथ आवेदक को वापस कर देना होगा। इसके उपरान्त ही अगले क्रम में प्राप्त आवेदन को सत्यापित किया जा सकेगा।

9. योजना के सुचारू रूप से संचालन हेतु समस्त जनपदों में नोडल अधिकारी नामित करते हुये उनका विवरण (नाम, पदनाम, विभाग, मोबाइल नम्बर एवं ई–मेल आई0डी0) एस0एच0ए0, योजना की ई–मेल आई0डी0—upsects@gmail.com पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें जिससे समय–समय पर योजनान्तर्गत पंजीकरण की प्रगति की जनपदवार समीक्षा में वांछित सूचना समय से उपलब्ध करायी जा सके।

मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा योजना का शुभारम्भ शीघ्र किये जाने की सम्भावना है। अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त दिशा–निर्देशों के अनुरूप जनपद के समस्त सरकारी विभागों के अधिकारियों/कर्मचारियों तथा सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों का योजनान्तर्गत आवेदन/पंजीकरण सुनिश्चित करने का कष्ट करें। यह भी अनुरोध है कि इस पत्र को जनपद के समस्त आहरण वितरण अधिकारियों/कोषाधिकारियों को अपने स्तर से प्रसारित (circulate) करने का कष्ट करें।

भवदीया,

(संगीता सिंह)
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

संख्या एवं तिथि : यथोपरि

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन को सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0।
4. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0।
5. निदेशाक कोषागार, उ0प्र0।

(संगीता सिंह)
मुख्य कार्यपालक अधिकारी